न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 48/2025 दायर दिनांकः 20.05.2025

उनवान

1. बिलासीबाई आयु 54 वर्ष पत्नी नन्दकिशोर जाति नायक निवासी मोटूका तहसील अटरू जिला बारां।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री कुन्ज बिहारी नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 30.10.2025

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार ग्राम एवं माल मोटूका तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 51 की ख0नं0 108 की 2.45 है0 व ख0नं0 235 की 0.03 है0 कुल किता 2 की 2.48 है0 भूमि प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा दर्ज खाता है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम खाते में सहवन से रामकैलाशी पत्नी नन्दकिशोर नायक दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम बिलासी बाई पत्नी नन्दकिशोर दर्ज होना चाहिए था। जो प्रार्थिया के आधार कार्ड, वोटर आई. डी. व अन्य दस्तावेजात में भी अंकित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थिया का नाम बिलासीबाई पत्नी नन्दकिशोर जाति नायक दर्ज है। प्रार्थिया का नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज होने से प्रार्थिया को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से एवं अन्य बैंक ऋण आदि लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थिया को जब इस बात की जानकारी हुई तो प्रार्थिया अपने वास्तविक नाम के दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थी के पास अपना गलत नाम रामकैलाशी को दुरूस्त करवाने से इंकार करते हुए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र

पेश किया जा रहा है। बिना सहायत न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का नाम रामकेलाशी के स्थान पर वास्तविक नाम बिलासीबाई दर्ज करवाना सम्भव नही है। यदि प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में दुरूस्त नही करवाया गया तो प्रार्थिया को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। इस कारण नाम दुरूस्त करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थिया द्वारा जमीन की नकले प्राप्त करने पर गलत नाम होने की जानकारी होन पर अप्रार्थी के पास दस्तावेजात के आधार पर दिनांक 11.07.2022 को खाते में अपना नाम दुरूस्त करवाने जाने पर एवं अप्रार्थी द्वारा नाम दुरूस्त करने से इंकार करते हुए माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत देने पर प्रथम व अन्तिम बार प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण बवक्त मौखिक बहस निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 51 की ख0नं0 108 की 2.45 है0, ख0नं0 235 की 0.03 है0 कुल किता 2 की 2.48 है0 भूमि में प्रार्थिया का नाम रामकेलाशी को दुरूस्त करते हुए बिलासीबाई पत्नी नन्दकिशोर दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/3114 दिनांक 23.09.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम व माल मोटूका पटवार मण्डल बमोरी के खाता संख्या 51 में नामान्तकरण संख्या 66 जर्ये बेचान से सहखातेदार बना है और नामान्तकरण संख्या 66 में प्रार्थिया का नाम रामकेलाशी बाई पत्नी नन्दकिशोर ही दर्ज किया गया था। अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोटूका सम्वत 2071–74 खाता संख्या 51, सरपंच ग्राम पंचायत बमोरी प्रमाण पत्र दिनांक 18.03.2023, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार रामकेलाशी बाई पत्नी नन्दकिशोर का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रार्थिया ने उक्त विक्रय पत्र भी न्यायालय में पेश नही किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मोटूका पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 51 का ख.नं. 108 का रकबा 2.45 है0 व ख0नं0 235 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.48 है0 आराजी में सहखातेदार रामकेलाशी पत्नी नन्दकिशोर के स्थान पर बिलासीबाई पत्नी नन्दकिशोर किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां